P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-1* April - 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

महिलाएं एवं अपराध : एक सामाजिक–भौगोलिक अध्ययन

दिनेश कुमार
शोध छात्र,
भूगोल विभाग,
टांटिया विश्वविद्यालय,
रीको, श्रीगंगानगर

सुनील कुमार
अध्यक्ष,
कला संकाय विभाग,
टांटिया विश्वविद्यालय,
रीको, श्रीगंगानगर

सारांश

अपराध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इससे कानून और सामाजिक प्रथाओं का उल्लंघन होता है तथा सामाजिक कल्याण में बाधा उत्पन्न होती है, साथ ही समाज को नुकसान भी होता है। इस नुकसान से समाज की रक्षा करने के लिए आदिकाल से विचारक चिंतित रहे हैं।

साथ ही आज का युग परिवर्तन का युग है। आज अपराधों का पता लगाने के लिए अनेक आधुनिकतम वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है तथा पुलिस और कारागार व्यवस्था में परिवर्तन किये जा रहे हैं। दांडिक क्षेत्र में भी परिवर्तन इस बात के द्योतक हैं कि वर्तमान में दंड शास्त्री अपराध निवारण की समस्या के प्रति सजग है तथा समाज को अपराध रहित बनाने के लिए कृत्य संकल्प है।

जहां तक एक अपराधी का प्रश्न है तो वह चाहे पुरूष हो अथवा महिला उसे अपराध करने की सजा दंड के रूप में मिलनी ही चाहिये।

मुख्य शब्द : समाज, अपराध, भौगोलिक तथ्य, महिलाएं, औद्योगीकरण, नगरीकरण, परिस्थितियां, कुप्रथाएं।

प्रस्तावना

समाज में सभी व्यक्ति एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ उनमें परस्पर अर्न्तक्रियाएं भी चलती रहती है। जब ये अर्न्तक्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती है, तब तक समाज एवं इसके सदस्य संगठित रहते है। लेकिन जैसे ही ये अर्न्तक्रियाएं अनियमित होती है वैसे ही समाज का विघटन होने लगता है।

यही विघटन मानव को अनैतिकता, असन्तोष, स्वार्थसिद्ध एवं अपराधों के रास्ते पर ले जाता है, तथापि इसके लिए विभिन्न भौगोलिक कारक एवं परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती है।

"कोई सार्वजनिक कानून जो किसी अपराध के करने पर प्रतिबंध लगाते है या ऐसा करने की अवज्ञा देता है, उसके उल्लंघन स्वरूप किया गया व्यवहार अपराध है।"

दूसरे शब्दों में अपराध वह व्यवहार है जो कि कानून एवं सामाजिक विधानों का उल्लंघन करके किया जाता है। आज के युग में विभिन्न कारणों से सामाजिक विघटन हो रहे है। इस कारण अपराधों में बढ़ोतरी हुई है।

साधारणतः लोगों की यह धारणा रही है कि स्त्रियां पुरूषों की अपेक्षा अधिक नैतिकता–प्रिय और कम हानिकारक होती है। अपराधिक सांख्यिकी आंकड़ो से भी यही प्रमाणित होता है कि स्त्रियों में पुरूषों की अपेक्षा कम अपराधिकता पाई जाती है। परन्तु प्रो. पोलक ने महिला अपराधिनियों के सांख्यिकी आंकड़ो की सत्यता के सम्बंध में संदेह व्यक्त किया है कि महिलाओं द्वारा अपराध ज्यादातर परोक्ष रूप से किये जाते हैं।

महिला अपराधियों द्वारा किये जाने वाले अपराध साधारणतः हत्या, वैश्यावृत्ति, विष–प्रयोग, पर–पुरूष गमन, गर्भपात, शिशु–वध, भ्रूण हत्या, ठगी–चोरी का माल छिपाना या स्वीकार करना आदि है।

अध्ययन के उद्देश्य

किसी भी कार्य को करने से पहले उसके कुछ उद्देश्य निश्चित होते है जिनकी पूर्ति हेतु उस कार्य को किया जाता है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य महिलाएं एवं अपराध : एक सामाजिक–भौगोलिक अध्ययन की समीक्षा करना है। समाज में महिलाएं अपराध क्यों करती है? इनके अपराध की क्या परिस्थितियां होती है तथा इनका भौगोलिक स्वरूप क्या है? इन अपराधों के दुष्परिणाम क्या है? इन सभी का अध्ययन करना तथा अपराधों की रोकथाम के लिए सुझाव प्रस्तुत करना इस शोध का मुख्य उद्देश्य है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए अध्ययन क्षेत्र का अवलोकन किया गया है। जबकि द्वितीयक प्रकार के आंकड़े केन्द्र व राज्य सरकार के प्रतिवेदन, विभिन्न पत्रिकाओं, शोध पत्रों से एकत्रित किए गए हैं।

विवरण

श्रीगंगानगर वैसे तो शांत क्षेत्र है किन्तु ये एक विकासशील नगर भी है जो सतत् बड़ा नगर बनने की ओर अग्रसर है। यहां पर जनसंख्या, नगरीकरण एवं औद्योगीकरण में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन सबका असर भारतीय नारी पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पड़ा है।

आज महिलाएं जहां एक ओर पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, वही दूसरी ओर वे महिलाएं भी हैं जो अपराधों की भागीदार है और विभिन्न अपराधों के सिलसिले में जेलों में सजाए काट रही है।

प्रस्तुत शोधपत्र में शोधार्थी द्वारा महिला अपराधों के कारण तथा उनके निवारण का विवरण प्रस्तुत किया है।

महिला अपराध

"अपराध एक इस प्रकार का समाज विरोधी व्यवहार है जो कि जनता की भावना को उस सीमा तक भंग करें कि उसे कानून द्वारा निषिद्ध कर दिया गया हो।"

"अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसे दंड देने के लिए राज्य शक्ति रखता है।"

सामान्यतः महिलाओं में अपराधिक प्रवृत्ति की दर कम देखी गई है परन्तु आज के समय में जबकि हर ओर गहमा–गहमी और अशांति एवं तेज गति का जमाना है, अतः महिलाओं पर भी इसका व्यापक असर हुआ है। कोई भी अपराधी जन्मजात अपराधी नहीं होता है, बल्कि कई भिन्न–भिन्न एवं विषम सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, पारिस्थितिकी एवं राजनैतिक परिस्थितियां होती है जिनके चलते व्यक्ति अपराध कर बैठता है और जब यही परिस्थितियां महिलाओं के समक्ष आती है तो वह भी अपराध कर कानून को अपने हाथ में ले लेती है। इसलिए महिला अपराधों की गणना करते समय अपराधियों की तरह महिलाओं का व्यवहार तथा महिलाओं पर हुए अत्याचार, जो दंड विधान के अन्तर्गत रखा जा सके, सभी का समावेश किया जाता है।

अपराध चाहे पुरूष करे अथवा महिला, अपराध, अपराध है अतः उसे दंड मिलना ही चाहिए।

महिला अपराधों के कारण

अपराध सामान्य कारणों के साथ–साथ महिला अपराध के कुछ कारण या परिस्थितियां भी होती है। महिला अपराध पर विचार करते हुए सामाजिक परिवेश को भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिलाएं भी पुरूषों की भांति उसी समाज का अंग है, जहां अपराधी प्रवृत्ति पनपती व विकसित होती है। महिला अपराध के कुछ प्रभावी अथवा विशेष कारणों का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है। यथा–

1. सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारण

महिला अपराध के आंकड़े पुरूष अपराध तथा किशोर अपराध की तुलना में काफी कम है। इसका कारण यह नहीं है कि महिलाएं कोमलता का प्रतीक हैं अथवा वे नैतिकता के बारे में पुरूषों के मुकाबले अधिक सचेत है, लेकिन इसमें कुछ विशेष सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथ्यो का योगदान रहता है। ये कारण या तथ्य निम्नलिखित है–

(अ) सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारण

पारिवारिक जीवन की अस्वस्थ और स्नेहहीन दशाएं किशोरी लड़कियों को विभिन्न अपराधों की ओर प्रेरित करती है। परिपूर्णानन्द वर्मा के शब्दों में, "व्यवहार का उत्पादन लड़को में नहीं होता है। वह गृह निर्मित होता है।" यह वास्तविकता है कि बचपन और किशोर अवस्था में माता–पिता की बुद्धि और समझदारी के आधार पर ही बच्चों के व्यवहार की दिशा निश्चित होती है। प्यार की आकांक्षा की पूर्ति न होने से अनेक किशोरियां अन्यत्र स्नेह प्राप्त करने का प्रयास करती है और यह प्रयास उन्हें यौन अपराध की ओर अग्रसर कर देता है। इसके अतिरिक्त पिता या घर के अन्य पुरूष भी लड़कियों को अनैतिक आचरण में प्रवृत्त कर देते है। कोनोष्का ने ऐसी लड़कियों के स्वाभाविक कथन प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि माता–पिता का दुराचरण, उनके द्वारा लड़कियों की पिटाई के कारण, अनेक बालिकाएं और किशोरियां घर से भाग जाती है और यह पलायन उन्हें अपराधों की दुनिया में धकेल देता है।

(ब) अहम् की सन्तुष्टि

प्रत्येक लड़की यह चाहती है कि वह किसी न किसी आधार पर अपने संगी–साथियों में प्रशंसा या आकर्षण की केन्द्र बनें। प्रत्येक लड़की लड़कों के आकर्षण का केन्द्र बनना चाहती है। किन्तु कुछ लड़कियां सौन्दर्य या अन्य किसी आकर्षण गुण के अभाव में अपनी सहेलियां और लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ होती है। ये आकर्षण की प्रतियोगिता में पीछे रह जाती है। इससे उसके अहम् पर चोट लगती है।

रोस ने इसे स्थिति की हानि या स्थिति का पतन कहा है। ऐसी अवस्था में लड़कियां स्वयं को लड़कों को हाथों में समर्पित कर देती है। लेकिन अहम् की सन्तुष्टि या यह साधन उन्हें और गिरा देता है और वे सस्ती लड़कियां बन जाती है और इस प्रकार यह अपराधी क्रियाओं के चक्रव्यूह में फंस जाती है।

(स) समाजीकरण की भिन्नता

लड़के–लड़कियां का पालन पोषण और शिक्षा बचपन से ही पृथक्–पृथक् ढंग से होती है। किशोर अवस्था में प्रवेश करने तक उनके कार्यों, मनोवृत्ति और विचारों तथा भूमिकाओं में स्पष्ट अन्तर हो जाता है। समाजीकरण की यह भिन्नता लड़की और लड़के की भूमिकाओं में अन्तर कर देती है।

जार्ज ग्रोसर के अनुसार, जिस प्रकार के लड़कों के चोरी तथा मारपीट के अपराध उनके पौरूष की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार लड़कियों द्वारा किये जाने वाले अपराध, मुख्य तौर पर यौन–अपराध उनकी स्त्री–जन्य भूमिका की अभिव्यक्ति के रूप में देखे–समझे जा सकते

है। इस प्रकार महिला–अपराध नारी की भूमिका का प्रदर्शन मात्र है।

2. वंशानुगत कारण

अपराधी लड़कियों की वंश परम्परा के विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि उसके वंश के दोनों पक्षों (मातृपक्ष व पितृपक्ष) में से किसी एक के असामान्य व्यवहार का प्रभाव उसमें आता है। इस असामान्य व्यवहार के अनेक लक्षण हो सकते है, मानसिक आतंक के कारण अस्थिर मन, दुविधाग्रस्त मस्तिष्क से प्रेरित अजीब हरकतें, सदैव अनिश्चिन्तता की दशा में झूलते रहना, नाटकीय ढंग का व्यवहार, मेहनत व जिम्मेदारी से कतराना, वंशागत मंदबुद्धि व अपराधी व्यवहार के कारण असामाजिक कृत्य आदि। ये आन्तरिक प्रेरक लक्षण विभिन्न बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव में आकर महिलाएं प्रतिकूल परिस्थितियों के निरन्तर दबाव में रहने का कारण आदतन अपराधी बन जाती है।

3. औद्योगिक तथा शैक्षणिक प्रगति के कारण

वर्तमान समय में औद्योगिक तथा शैक्षणिक प्रगति के कारण भी महिला अपराधियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। स्त्री स्वातंत्र्य तथा महिला उद्धार के आन्दोलन में महिला की सामाजिक परिस्थिति पूर्णतः बदल चुकी है जिसका प्रभाव उसके द्वारा किये जाने वाले अपराधों के स्वरूप पर भी पड़ा है। यही कारण है कि आजकल कुमारी गमन, अविवाहित मातृत्व, अवैध गर्भपात आदि जैसे अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारतीय समाज में 'तलाक' एक साधारण बात हो गई है जबकि कुछ दशकों पूर्व इसे लांछनास्पद माना जाता था।

4. परिस्थितिजन्य कारण

जिन परिस्थितियों के कारण महिलायें अपराध करती है उनका विवेचन निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है–

(अ) निर्धनता

अपराध करने का प्रमुख कारण निर्धनता भी है। निर्धनता मनुष्य को अपराधी–व्यवहार अपनाने के लिए उत्तेजित करती है। जब परिस्थितिवश परिवार के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में उसके सामने व्याकुल दिखाई देते है, बच्चे भूख से बिलखते है तो वे ऐसी स्थिति देख नहीं पाती और पेट भरने के लिए गलत कार्य कर बैठती है। इस प्रकार वे अपराध प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होती है।

(ब) गन्दी बस्तियों में आवास

नगरों की गंदी बस्तियों में आवास और छोटे व तंग कमरों में अनेक लोगों के एक साथ रहने से बालिकाओं का कच्चा मन प्रत्येक प्रकार के कुप्रभाव का शिकार हो जाता है।

(स) काम–काजी माता–पिता

काम–काजी माता–पिता बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर पाते या समय पर उन्हें संभाल नहीं पाते तो ऐसी उपेक्षित अथवा अरक्षित बच्चियां किशोरावस्था तक पहुंचते–पहुंचते माता–पिता के प्रति विद्रोही हो उठती है और परिणाम को चिन्ता किये बिना अपराध की राह पकड़ लेती हैं।

महिलाओं के अपराध व्यवहार को नियंत्रित करने के उपाय

1. न्यायिक उदारता

महिलाओं में अपराध व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए न्यायिक उदारता बरती जानी चाहिए। इसका कारण यह है कि शारीरिक दृष्टि से महिलाएं पुरूषों की तुलना में नाजुक होती है और उनमें शारीरिक कष्ट या यातना सहने की शक्ति भी कम होती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के प्रति समाज यथासंभव सहिष्णुता की नीति अपनाता है।

2. सुधारात्मक संस्थाओं में भेजना

अपराधी महिलाओं को जेलों के बनस्पित सुधारात्मक संस्थाओं में रखना चाहिये ताकि उनमें आदर्शमूलक मूल्यों के प्रति पुनःझुकाव पैदा हो। यह भी आवश्यक है कि अपराधी महिलाओं को एक ही स्थान पर नहीं रखना चाहिये।

3. परिवीक्षा पर छोड़ना

महिला अपराधियों को अलग–अलग उनके रिश्तेदारों के निकट रखा जाना चाहिए ताकि अपराध–प्रवृत्ति के विरूद्ध घृणा का भाव पैदा हो। इस प्रकार अपराधी महिलाओं को परिवीक्षा पर छोड़कर अपने मूल्यों को बदलने का अवसर देना चाहिए।

4. जेलों की संख्या में वृद्धि तथा पूर्ण सुविधायें उपलब्ध कराना

यद्यपि वर्तमान में महिला–जेलें है किन्तु उनकी संख्या बहुत कम है। अतः जेलों की संख्या बढ़ाई जाये। महिला अपराधियों के लिए कारावास में सम्मानजनक सुविधायें जुटायी जानी चाहिये ताकि उन्हें यह भरोसा हो सके कि अपराधी व्यवहार छोड़ने के बाद वे समाज में सम्मानपूर्वक अपना जीवन बिता सकेंगी।

5. पुनर्वास की समस्या का समाधान करना

अपराधी महिलाएं जेलों में भी सुरक्षित नहीं है और जेलों से छूटने के बाद उनके पुनर्वास की समस्या और जटिल हो जाती है। जेलों की असुविधाजनक परिस्थितियों में उन्हें प्रायः शोषण का शिकार होना पड़ता है तो बाहर आकर भी 'जेल में रहने' का कलंक उनका पीछा नहीं छोड़ता, समाज उन्हें तिरस्कार व अपमान की दृष्टि से देखता है इसलिये उन्हें अपनी जात–बिरादरी से बहिष्कृत, अकेला व अपमानित जीवन बिताना पड़ता है। इतना ही नहीं, सुधार गृहों का माहौल भी उन्हें सुख नहीं पहुँचा पाता, वरन् आदतन अपराधियों के मध्य रहकर कारणवंश एकाध अपराध करने वाली महिलाएं भी बाद में अभ्यस्त अपराधी बन जाती है।

निष्कर्ष

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्येक देश काल में महिलाओं के द्वारा भी अनेक प्रकार के अपराध कृत्य किये जाते रहे है। प्रायः महिला अपराध के कारण परिस्थितिजन्य ही होते है। महिलाएं प्रायः कम बल प्रयोग वाले आपराधिक कृत्य अपनाती है।अधिकांश महिला–अपराधियों को पुरूष का सहयोग प्रोत्साहन अवश्य मिलता रहता है। विभिन्न विद्वानों ने महिला अपराध के सम्बंध में अनेक अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि पुरूषों की अपेक्षा महिलाकएं कम अपराध करती है और इनके अपराध का मूल कारण प्रायः नियंत्रणहीनता, भगोड़ापन

और यौन–स्वंतत्रता व आवश्यकता की पूर्ति आदि रहे है। महिला अपराधों के निवारण के लिए आवश्यक है कि इनकी सामाजिक परिस्थितियों को सुधारा जाए तथा महिला अपराधियों को सुधारात्मक संस्थाओं में भेजा जाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बार्न्स तथा टीटर्स (1959). न्यू होरीजन इन क्रिमीनोलॉजी. प्रिटिक–हाल, पृ.सं. 70
2. लैडिस और लैंडिस, (1955). सोईल लिविंग. न्यूयार्क, पृ.सं. 146
3. इलियट तथा मौरिल (1955). सोशल डिसओर्गेनाईजेशन, हार्पर एण्ड ब्रास, पृ.सं. 91
4. डी.आर.,टैफ्ट (1959). क्रिमीनोलॉजी, पृ.सं. 83–84
5. डॉ. नाथ सिंह, वीरेन्द्र, (1988). ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र.दिल्ली : विवेक प्रकाशन. प्रथम संस्करण।
6. मदन, जी.आर. (1986) भारतीय सामाजिक समस्याएं. विवेक प्रकाशन, पृ.सं. 59
7. डॉ. बघेल, डी.एस. (1992).अपराधशास्त्र.दिल्लीः विवेक प्रकाशन, सप्तम संस्करण।
8. डॉ. परांजये, एन.बी. (1982). अपराधाशास्त्र एवं आपराधिक न्यास प्रशासन, भोपाल : म.प्र., हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, द्वितीय संस्करण।